## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
## पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–10 / 2020 (2020 / 00010) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–रामपाल पिता रतनलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–सत्यनारायण पिता लालाराम लढ़ा निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा

2–प्रहलादराय पिता लालाराम लढ़ा निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा

3–श्रीमान् लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिश टेलर – विपक्षीगण अधिवक्ता

### निर्णय

दिनांक 15.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बारोणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4773 / 4202 रकबा 0.18 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नवीन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता गांव से आने वाले सरकारी बिलानाम सड़क से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 4773 / 4202 में जाता है, जिससे प्रार्थी अपने खेतो में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज, बैल, गाड़ी, ट्रेक्टर लेकर जाते है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी के उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर खुला हुआ है परन्तु विपक्षीगण आये दिन उक्त रास्ते को बन्द कर देते है तथा अपनी आराजी में आवागमन नही करने की धमकिया दे रहे है। जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना अतिआवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 4201 की पूर्वी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 के की ओर से अधिकार पत्र श्री हरिश टेलर अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया जो पत्रावली है। एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अकंन किया कि उक्त आराजियात के मूल नम्बर 4202 थे जिसके आपसी साहमति से विभाजन हो जाने से 4772 / 4202 रकबा 0.02 है0 व 4773 / 4202 र[illegible] 8 है0 भूमि हम विपक्षीगणो

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:54:24 IST
Reason: SelfAttested

के रखते हुए कायम किये गये परन्तु वर्तमान नक्शे में इसके मूल नम्बर ही कायम कर रखे है। विपक्षीगण की आराजियात में 20 चोड़ाई में कोई रास्ता मौजुद नही है न ही कभी रहा है। प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु अलग से रास्ता मौजुद है। जिससे सदैव आवागमन करता है। बाकि के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है एवं मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी के सटमा ही अपने भाई बन्धु की संयुक्त खातेदारी आराजी की पश्चिमी पाली पर होकर प्रार्थी की आराजी में आवागमन करते है। वर्तमान में यही से आवागमन कर रहे है प्रार्थी की खातेदारी जिसमें प्रार्थी का रास्ता स्थित है जिसको अपने हिस्से को प्रतिफल लेकर विक्रय कर दिया। उक्त भूमि में क्रेता ने प्लाटिंग कर कई रास्ते छोड़ रखे है। प्रार्थी उसकी आराजी संख्या 4199 व 4200 में स्थित पुराने रास्ते को ही प्राप्त करना चाहता है तो क्रेता से प्राप्त करे। हम विपक्षीगण की आराजी में कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार, रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थी रामपाल पिता रतनलाल महाजन ने ग्राम बोराणा की सीमा में स्थित खातेदारी आराजी संख्या 4773 / 4202 रकबा 0.18 है0 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 4201 मे से 20 चौड़ा रास्ता चाहता है आराजी नम्बर 4773 / 4202 रकबा 0.18 है0 के चारो तरफ खातेदारी भूमिया स्थित है इस आराजी के समीप स्थित आराजियात 4201, 4200, 4197, 4198, 4200, 4772 / 4202 मौके पर खुली पड़ी हुई है काटे बाड़ व डोल आदि नही है। आराजी नम्बर 4773 / 4202 के दक्षिण में कांटे की बाड़ लगी हुई है राजस्व रेकार्ड में नक्शे में रास्ता दर्ज नही है। आराजी नम्बर 4773 / 4202 के तीन तरफ पड़ौसी आराजियात खुली पड़ी हुई है। मौके पर आवागमन की कोई समस्या नही है। प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी नम्बर 4201 रकबा 0.61 है0 जो रायपुर–बोराणा की सड़क से लगती हुई है मे से 20 फीट चोड़ा रास्ता चाहता है। आराजी नम्बर 4773 / 4202 के पूर्व में आराजी नम्बर 4772 / 4202 पड़त एवं 4199, 4000, 4197 में खातेदार ने आवासीय प्लाट बनाकर छोड़ रखे है जिसमें भी प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन कर सकते है। वर्तमान आराजी नम्बर 4773 / 4202 जो कई वर्षो से पड़त पड़ी हुई है। इसके तीनो तरफ आराजी नम्बर 4203, 4201, 4200, 4199, 4197 पड़त पड़ी हुई है उनके बीच में मेड़ के निशानात व बाड़ नही है। भूमियां मौके पर खुली पड़ी हुई है। विपक्षीगण के आराजी नम्बर 4201 रकबा 0.61 है0 किस्म बीड़ 0.18 है0 खाड़ी II 0.43 है0 मे से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहने से आराजी नम्बर 4201 मे से रकबा 0.05 है0 भूमि प्रस्तावित की जिसकी आराजी नम्बर 4201 रकबा 0.61 किस्म बीड़ 0.18 है0 व किस्म खाड़ी 0.43 है0 मे से 0.05 है0 की डीएलसी दर से राशि 21135 की दुगुनी राशि 42270 रूपये बनती है। वर्तमान में आराजी नम्बर 4773 / 4202 में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त आराजी व सड़क के मध्य स्थित आराजी नम्बर 4101, 4772 / 4202, 4200, 4199 खुली पड़ी हुई है। मौके पर आराजी नम्बर 4773 / 4202 के समीप आराजी नम्बर 4772 / 4202, 4197, 4200 जो पूर्व में प्रार्थी के सामलाती थी। जिसे वर्तमान में विक्रय कर दिया है। उक्त आराजियात मे से होकर प्रार्थी आवगमन कर सकता है। प्रार्थी व विपक्षीगण की आराजियात मौके पर एक ही चक में पड़ी हुई है बीच में मेड़ व डोल के निशानात नही है।

प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को [illegible] हुए मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:54:24 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तथा विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए आवेदन खारीज कराने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 4773/4202 में आवागमन हेतु वर्तमान में रास्ता नही है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में यह अकिंत किया कि प्रार्थी की आराजी के तीन ओर आराजियात खुली (अर्थात पड़त) पड़ी हुई है आवागमन की समस्या नही है परन्तु उक्त भूमि खतेदारी भूमि होकर आवागमन का राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है जिससे प्रार्थी को रास्ता को दिया जाना आवश्यक है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता द्वारा यह कहा कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपनी भूमियां विक्रय कर दी गई जिसमें रास्ता प्रस्तावित किया जाना चाहिये था किन्तु इस प्रकरण में मौका स्थिति अनुसार सुलभ रास्ता तहसीलदार द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है आराजी संख्या 4201 में किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 4201 रकबा 0.61 है0 मे से (6 मीटर चौड़ाई में 83.33 मीटर लम्बाई में) 0.05 है0 भूमि जो इस आराजी के पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे होते हुए उत्तरी पूर्वी मेड़ से होता हुआ प्रार्थी की आराजी नम्बर 4773/4202 में पहुँच तक की भूमि जिसकी डीएलसी दर 91332 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 21135 रूपये भूमि किमत की दुगुनी राशि 42270 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदार को भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:54:24 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10/2020 (2020/00010) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1—रामपाल पिता रतनलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**प्रार्थी**

**बनाम**

1—सत्यनारायण पिता लालाराम लढ़ा निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा

2—प्रहलादराय पिता लालाराम लढ़ा निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा

3—श्रीमान् लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट**

**प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्**

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 4201 रकबा 0.61 है0 मे से (6 मीटर चौड़ाई में 83.33 मीटर लम्बाई में) 0.05 है0 भूमि जो इस आराजी के पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे होते हुए उत्तरी पूर्वी मेड़ से होता हुआ प्रार्थी की आराजी नम्बर 4773/4202 में पहुँच तक की भूमि जिसकी डीएलसी दर 91332 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 21135 रूपये भूमि किमत की दुगुनी राशि 42270 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदार को भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

15.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा).

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 16:54:24 IST
Reason: SelfAttested